कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष—उत्पादन) सतपुडा भवन भोपाल

क्रमांक/उत्पादन/ बांस/134/09/ 771 भोपाल,दिनांक 26 फरवरी 2009

प्रति,

समस्त
मुख्य वन संरक्षक एवं
पदेन वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
म0प्र0

विषयः— बांस के वार्षिक कूपों से अनुमानित उत्पादन की गणना हेतु सेंपल प्लाट सर्वे करने बाबत्।

संदर्भः— प्रधान मुख्य वन संरक्षक का पत्र क्रमांक /विकास/ 08/ 3165 दिनांक 19.08.08.

—0—

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके तहत प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा बांस कूपों में अनुमाानित उत्पादन के आंकलन हेतु निर्देश जारी किये गये थे। जारी निर्देशिका की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न की जा रही है। कृपया तदनुसार अपने वन मंडल में निम्नानुसार निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें एवं वर्ष 2008—09 हेतु पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा जारी निर्देशों का पालन करते हुए वर्ष 2009 हेतु कूपों में पूरे क्षेत्र में सेम्पल प्लाट डाले जावें एवं कार्यवाही पूर्ण करावें ।
2. कूपों में बांस के वास्तविक एवं अनुमानित उत्पादन की गणना हेतु सैम्पल प्लाट का सर्वे किस प्रकार किया जाना है, यह संदर्भांकित पत्र दिनांक 19.08.08 में दिये गये निर्देशानुसार पालन कर सुनश्चित किया जाना है।
3. बांस कूपों में 1=15,000 के संनिधि मानचित्र में 500 x 500 मीटर अथवा अक्षांश व देशांतर के आधार पर 15"X15" के अन्तराल पर उत्तर—दक्षिण एवं पूर्व— पश्चिम दिशा में डेड लाइन पर डाले जायेंगे।
4. डेड लाइन के कटान बिन्दु पर 0.25 हेक्टयर का एक सेम्पल प्लॉट डाला जावेगा। सेम्पल प्लाट किस तरह से डाला जाना है एवं किस प्रकार कटान बिन्दु तक **GPS (Global Positioning System)** का उपयोग करना है, इसकी विधि संदर्भित पत्र के पेरा क्रमांक—5 में दर्शायी गई है।
5. सेम्पल प्लॉट में बांस की गणना —सेम्पल प्लाट के अन्दर आने वाले समस्त भिर्रो की गणना की जावेगी। उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व की भुजाओं पर आने वाले बांस भिर्रो को गणना में नहीं लिया जावेगा, जबकि उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम की भुजाओं पर आने वाले भिर्रो को गणना में लिया जावेगा।
6. बांस कूपों में अनुमाानित उत्पादन के आंकलन का विवरण निम्न प्रपत्रों में दिया जावेगाः—

   प्रपत्र—1 में प्लाट में आने वाले समस्त भिर्रो में बांस की संख्या को अभिलेखित किया जावेगा।

   प्रपत्र—2 में बांस गणना का गोशवारा दिया जावेगा।

   प्रपत्र— 3 में कूप में बांस के भिर्रो की अनुमानित मात्रा की गणना दर्शायी जावेगी।

   प्रपत्र—4 में कूप में उपलब्ध बांसों की अनुमानित कुल संख्या की गणना दर्शायी जावेगी।

   प्रपत्र—5 कूप में उपलब्ध अनुमानित उत्पादन की गणना दर्शायी जावेगी।

   प्रपत्र —6 में बांस कूप में अनुमानित मात्रा का संक्षिप्त प्रतिवेदन दिया जावेगा।

7. प्रपत्र–1 से 5 परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा तैयार किये जावेंगे। प्रपत्र–6 परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा तैयार कर उप वन मंडलाधिकारी के माध्यम से वन मंडलाधिकारी क्षेत्रीय को प्रस्तुत करेंगे। कार्य उपरान्त प्रपत्र–1 वन मंडल क्षेत्रीय में सुरक्षित रखा जावेगा। वन मंडलाधिकारी क्षेत्रीय बांस कूपों का उपरोक्तानुसार आंकलन कर उसे विदोहन के पूर्व समायोजना हेतु वन मंडलाधिकारी उत्पादन के माध्यम से उनके वन क्षेत्रपाल, उप वन क्षेत्रपाल, परिक्षेत्राधिकारी एवं कूप प्रभारियों हेतु उपलब्ध करावेंगे । उपरोक्त गणना से प्राप्त आंकलन का पुनः आंकलन कर वन मंडलाधिकारी (उत्पादन) वन मंडलाधिकारी (क्षेत्रीय) को प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार से समायोजित की गई गणना प्रपत्रों में क्षेत्रीय एवं उत्पादन से संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी हस्ताक्षर केरेंगे।

8. गणना के उपरान्त यदि अनुमानित बांस की संख्या एवं वार्षिक उत्पादन में ±10% का अन्तर आता है या इसके लिए आडिट द्वारा आपत्ति की जाती है तो इस हेतु क्षेत्रीय एवं उत्पादन के समस्त अधिकारी/ कर्मचारी उत्तरदायी होंगे तथा इस हेतु संबंधितों के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
म0प्र0 भोपाल.

क्रमांक/उत्पादन/ बांस/134/09/ 772
भोपाल,दिनांक 26 फरवरी 2009

प्रतिलिपिः–

समस्त वन मंडलाधिकारी (उत्पादन) वन मंडल मध्यप्रदेश की ओर संदर्भित पत्र की प्रति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है । कृपया उपरोक्तानुसार निर्देशों का पालन करते हुए विदोहन कार्य कराया जाना सुनिश्चित करें एवं वर्ष 2008–09 हेतु पालन प्रतिवेदन वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से प्रस्तुत करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
म0प्र0 भोपाल.